

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937

No. 808]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSA 1, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 995(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खान ब्यूरो, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2002 और भारतीय खान ब्यूरो, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2003, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में निश्चित समूह 'क' और 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होगा।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान- पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी	*13 (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : (i) ऐसा अधीक्षक (वेतन बैंड-2 रु .9300 – 34800, ग्रेड वेतन रु 4200) जिनके पास नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात में पाँच वर्ष का अनुभव हो और भारतीय खान ब्यूरो या किसी मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा को संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार

पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगा।	
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्द्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों अथवा विधायी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-	
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा	
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन रु. 4200 या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो।	
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव हो :-	
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बेचलर	
(ii) किसी सरकारी कार्यालय/पब्लिक सेक्टर के उपक्रम/स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में लेखा/प्रशासन, स्थापन कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव हो।	
टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष	
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य	
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. प्रशासनिक अधिकारी	6 * (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है।

(11)
प्रोन्नति : (i) ऐसा सहायक प्रशासन अधिकारी (वेतन बैंड-2 रु. 9300 – 34800 और ग्रेड वेतन रु. 4600) जिनके पास नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात में तीन वर्ष का अनुभव हो और भारतीय खान ब्यूरो या किसी मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा को संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगा।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन रु. 4800- या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर 2 वर्ष सेवा की हो

या

जिन्होंने वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन रु. 4600- या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव हो :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री

(ii) किसी सरकारी कार्यालय/पब्लिक सेक्टर के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/वैधानिक निकाय में लेखा प्रशासन, स्थापना कार्य करने का 4 वर्ष का अनुभव हो ।

वांछनीय :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यवसायिक प्रशासन में मास्टर डिग्री या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति या आमेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष या सदस्य	- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय	- सदस्य
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	2 * (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है।

(11)

प्रोन्नति : (i) प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैंड-3, रु.15600 – 39100 और ग्रेड वेतन रु 5400-) जिनके पास नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात में पाँच वर्ष का अनुभव हो, और ;

(ii) भारतीय खान ब्यूरो या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा संचालित प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने का प्रमाणपत्र हो ।

टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा को संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगा।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों अथवा विधायी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्दृश पद धारण किया हुआ है ; अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3, रु.15600 – 39100, ग्रेड वेतन रु 5400- या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो

या

जिन्होंने वेतन बैंड-2, रु 9300-34800-, ग्रेड वेतन रु. 4600- या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की हो

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बेचलर डिग्री ;

(ii) किसी सरकारी कार्यालय/पब्लिक सेक्टर के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/कानूनी निकाय में लेखा प्रशासन, स्थापना कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव हो ।

वांछनीय :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसायिक प्रशासन में मास्टर या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगा, सिवाय उस

दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी- 1. संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान - सदस्य ब्यूरो	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय, जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1 * (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 15600- 39100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है।

(11)
प्रोन्नति : (i) ऐसा ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी (वेतन बैंड-3, रु.15600 – 39100 और ग्रेड वेतन रु. 6600-) जिनके पास नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष का अनुभव हो और भारतीय खान ब्यूरो या किसी मान्यताप्राप्त द्वारा संचालित प्रशासन, स्थापन और लेखा के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने का प्रमाणपत्र हो। टिप्पण 1- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा , अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा को संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगा। प्रतिनियुक्ति : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन वे अधिकारी - (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3, रु.15600 – 39100 और ग्रेड वेतन रु. 6600- या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो और (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिग्री (ii) किसी सरकारी कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्त निकाय कानूनी निकाय में एकाउंट प्रशासन, स्थापना कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यवसायिक प्रशासन में मास्टर डिग्री या प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा । टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत लघु अवधि अनुबंध शामिल हैं) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति या आमेन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय, जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - सदस्य	
3. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य	

[फा. सं. 22/2/2013 -एम-III]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2015.

G.S.R. 995(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines, Chief Administrative Officer (Group "A" Post) Recruitment Rules, 2002 and Indian Bureau of Mines, Senior Administrative Officer, Administrative Officer and Assistant Administrative Officer Recruitment Rules, 2003, except as respect of things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A' and 'B' posts in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. – No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection-post. or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Administrative Officer	13*(2015) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service ,Group “B”, Gazetted; Ministerial.	Pay band– 2, Rs. 9300 – 34,800/- plus grade pay of Rs. 4600/-	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	11
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion:—Superintendent in the pay band -2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4200/- with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and successfully completed training of four weeks of in the field of Administration, Establishment and Accounts conducted by Indian Bureau of Mines or any recognized training institute. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from

				which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities recognised or Research Institutes or Semi Government or Autonomous bodies or Statutory organization: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent; and (B) possessing the following qualifications and experience : (i) Bachelor degree from a recognised university or Institutions;. (ii) three years experience in accounts, administration, establishment work in a Government office or Public Sector Undertakings or autonomous body or Statutory body. Note-1: The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation(including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note-4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure been extended shall be
--	--	--	--	--

				deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
--	--	--	--	---

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group “B” Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines - Chairman 2. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines - Member 3. Senior Administrative Officer, Indian Bureau of Mines - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Administrative Officer	6*(2015) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group “A”, Gazetted, Ministerial	Pay band – 3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion: (i) Assistant Administrative Officer in the pay band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600 with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and (ii) successfully completed training of four weeks in the field of Administration, Establishment and Accounts conducted by Indian Bureau of Mines or any recognized training institute. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered

				in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or the State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities recognised or Research Institutes or Semi Government or Autonomous bodies or Statutory organization: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department ; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2 with grade pay of Rs. 4600/- or equivalent; and (B) possessing the following qualifications and experience : (i) Bachelor degree from a recognised University or Institution; (ii) four years experience in accounts, administration, establishment work in a Government office or Public Sector Undertakings or Autonomous body or Statutory body. Desirable : Master of Business Administration or Post Graduate Diploma in Management from a recognised University or Institution. Note-1: The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation / or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note-4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to
--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation including short term contract.	Promotion: (i) Administrative Officer in the pay band – 3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs 5400 with five year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and (ii) successfully completed training of four weeks of in the field of Administration, Establishment and Accounts conducted by Indian Bureau of Mines or any recognized training institute. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service of two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st

				January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertaking or Universities recognised or Research Institutes or Semi Government or Autonomous bodies or Statutory organization: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Posts pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 5400/- or equivalent; or (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band -2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent; and (C) possessing the following qualifications and experience : (i) Bachelor degree from a recognized University or Institution. (ii) five years experience in accounts, administration, establishment work and Accounts in a Government office/PSU/Autonomous body/ Statutory body. Desirable : Master of Business Administration or Post Graduate Diploma in Management from a recognised University or Institution. Note-1: The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	--	---

				Note-4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
--	--	--	--	--

(12)	(13)
Group “A” Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consist of :- 1. Secretary, Ministry of Mines -Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Mines - Member; 3. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation including short term contract.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Chief Administrative Officer	1*(2015) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Services, Group “A”, Gazetted Ministerial	Pay band – 3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 7600/-	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion : Senior Administrative Officer in pay band – 3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade and successfully completed training of four weeks of in the field of Administration, Establishment and Accounts conducted by Indian Bureau of Mines or any recognized training institute. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission. Deputation : Officers under the Central Government or

				State Governments : (a)(i) holding analogous posts in the parent cadre or department or (ii) holding posts with at least five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band – 3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600/- or equivalent; and (b) possessing the educational qualification or experience as below : i) degree of a recognised University or Institution; and ii) ten years experience in the field of administration, establishment and accounts in a Government office or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies or Statutory body or any recognised institution. Note-1: The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note-4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation
--	--	--	--	---

(12)	(13)
Group “A” Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman / Member, Union Public, Service Commission —Chairman; 2. Secretary, Ministry of Mines —Member; 3. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines —Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation including short-term contract.

[F. No. 22/2/2013-M-III]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.